

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>
<p>31/02/24</p>	<p>पञ्जाबली पेश डी। वडी एवं वडी पकील अनु.। इलयास अदल हापरी एवं अदल पेशी के खारिफ हो जुका है। इलयास का अदल हापरी एवं अदल पेशी के खारिफ हो जाने से क.पस 212 RT Act का कोई मोसिय नहीं रहा। अतः क.पस 212 RT Act की कार्यवाही ड्राप की जाती है। पञ्जाबली कोतल मुकाल होकर रफिस्टर ले कर की जाये। मिलन इलयास हो।</p>